(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110002

Notification No. 11/2023-State Tax (Rate)

Dated: ..30..../..6..../2025

No. F.3 (12)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/.596 .- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Government's Notification No. 01/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated 30th June, 2017, namely:-

In the said notification,

(i) in Schedule IV-

(a) after S. No. 227 and the entries related thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely:-

(1)	(2)	(3)
"227A	Any Chapter	Specified actionable claim; *Explanation:*"specified actionable claim" as defined in section 2(102A) of the Delhi Goods and Service Tax Act, 2017 (03 of 2017) means the actionable claim involved in or by way of— (i) betting; (ii) casinos; (iii)gambling; (iv)horse racing; (v) lottery; or (vi)online money gaming;";

(b) S. No. 228 and 229 and the entries relating thereto shall be omitted.

(ii) in the *Explanation*, after clause (v), the following clause shall be inserted, namely:

"(vi) The words and expressions used and not defined in this notification, but defined in the Delhi Goods and Service Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), shall have the same meanings as assigned to them in those Acts."

2. This notification shall come into force on the 1st day of October, 2023.

Note: -The principal notification number 01/2017 -State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/382, dated 30th June, 2017 and was last amended vide notification number 09/2023-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (24)/Fin(Exp-I)/2023-24/DS-I/149, dated 15th February, 2024.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Fin.)

No. F.3 (12)/Fin.(Exp-I)/2025-26/DS-I/ 596 **Dated: 30/6/2025**

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi.
2. The Secretary to the Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi.
3. The Secretary to Hon'ble Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
5. S.O to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
7. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
8. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
9. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. The Director, State Resources Division, Finance Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
11. Website.
12. Guard File.

(Ravinder Kumar)
Jt. Secretary (Fin.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (व्यय–I) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अधिसूचना संख्या– 11/2023–राज्य कर (दर)

दिनांकः 30/6/2025

सं.फा.3 (12)/वित्त (व्यय– I)/2025–26/डीएस– I /596 – दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उप–धारा (1) और धारा 15 की उप–धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, इस सरकार की अधिसूचना संख्या 01/2017–राज्य कर (दर), जिसे दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उपखंड (i) संख्या सं फा.3(15)/वित्त (राजस्व–I)/2017–18/डीएस–VI/382, दिनांक 30 जून, 2017 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः–

उक्त अधिसूचना में,

(i) अनुसूची में–

(क) कम संख्या 227 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित कम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थातः–

(1)	(2)	(3)
"227क	कोई भी अध्याय	"विनिर्दिष्ट अनुयोज्य दावे"– स्पष्टीकरणः दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) (102क) में यथा–परिभाषित अनुयोज्य दावे से – (i) दांव लगाने; (ii) कैसिनो; (iii) द्यूतक्रीड़ा; (iv) घुडदौड; (v) लाटरी; या (vi) ऑनलाइन धनीय गेम खेलना, में अंतर्वलित या उनके माध्यम से अनुयोज्य दावा अभिप्रेत है।;

(ख) कम संख्या 228 और 229 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (v) के बाद, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः

"(vi) इस अधिसूचना में जो शब्द प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए हैं लेकिन दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 03), एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) में परिभाषित किए गए हैं, उन शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों में दिए गए हैं।"

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2023 को लागू होगी।

नोटः – प्रधान अधिसूचना संख्या 01/2017 –राज्य कर (दर), दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग IV, खंड 3, उप–खंड (i), संख्या सं फा.3(15)/वित्त (राजस्व– I)/2017–18/डीएस–VI/382, दिनांक 30 जून, 2017 को प्रकाशित हुई थी और अंतिम बार अधिसूचना संख्या 09/2023 – राज्य कर (दर), संख्या सं फा. 3(24)/वित्त (व्यय– I)/2023–24/डीएस– I/149, दिनांक 15–02–2024 के द्वारा संशोधन किया गया है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर

(रविन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)

सं.फा.3 (12)/वित्त (व्यय– I)/2025–26/डीएस– I / 596 दिनांकः 30/6/2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारितः

1 माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2 माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3 माननीय वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
4 नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
5 मुख्य सचिव के कर्मचारी अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6 अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग – चार (असाधारण) में प्रकाशनार्थ।
7 अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8 आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. इस्टेट, नई दिल्ली।
9 अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10 निदेशक, राज्य संसाधन विभाग, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
11 वेब साईट।
12 गार्ड फाइल।

(रविन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव (वित्त)